

सेवा में,

श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय
फिरोजाबाद

विषय :- विद्यालय के नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में।


महोदय,

निवेदन करना है कि हमारे विद्यालय एवेन्यूज इंटर नेशनल स्कूल जलेसर रोड फिरोजाबाद को कक्षा प्री प्राइमरी से आठ तक की मान्यता पत्रांक 21190-96 दिनांक 28/12/18 को प्रदान की गई थी उक्त विद्यालय के नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में अमरदीप मैमोरियल सोसाइटी की प्रबन्ध समिति की बैठक दि० 06/12/2023 को हुई जिसमें विद्यालय का नाम जी०डी० गोइन्का पब्लिक स्कूल करने का निर्णय लिया गया। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय का नाम परिवर्तन कराने की अनुमति प्रदान कर नवीन मान्यता पत्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

1. प्रस्ताव पत्र
2. कार्यालय की मान्यता की प्रति
3. सोसाइटी पंजीकरण
4. जी०डी० गोइन्का का सहमति प्रमाण पत्र


(31.12.18)


22-03-2024

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।

संख्यांक / 21190-96

/2018-19

दिनांक 28 दिसम्बर 2018

प्रबन्धक,

एवेन्यूज द इन्टरनेशनल स्कूल
जलेसर रोड ककरऊ
नगर क्षेत्र फिरोजाबाद।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 18-08-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं एवेन्यूज द इन्टरनेशनल स्कूल जलेसर रोड ककरऊ नगर क्षेत्र फिरोजाबाद को तारीख 01-07-2018 से तारीख 30-06-2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में जैसी कि मान्यता प्रदान की गई है), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समुहों के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा तीन में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैंपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा :

(2) किसी भी बालक को शारीरिक (दुर्बल) या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।

१६२

MANAGER

AVENUES
THE INTERNATIONAL SCHOOL
SCHOOL CODE-61301

- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा चर्लान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 (5) अधिनियम के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे :
 (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और
 (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-
- | | | |
|--|---|----------------------|
| कुल निर्मित क्षेत्र | - | 4539.04 Sq.m |
| क्रीड़ा स्थल की क्षेत्रफल | - | 1450.06 Sq.m |
| कक्षाओं की संख्या | - | 3088.98 Sq.m |
| प्राध्यापक-सह-कार्यालय सह भंडानगर के लिये कक्ष | - | 10 शिक्षण कक्षा कक्ष |
| बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय | - | 05 |
| पेयजल सुविधा | - | है |
| मिड डे मील पकाने के लिये रसोई | - | है |
| बाधारहित पहुँच | - | नहीं |
| अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता | - | है |

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चलाया जायेगा।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी भी प्रकार काउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने

12

MANAGER

AVENUES

THE INTERNATIONAL SCHOOL

SCHOOL CODE- 61301

10

चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 1610616 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. विद्यालय के कक्षा अनुभागों में उतने ही छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा, जिससे प्रत्येक छात्र हेतु कम से कम 09 वर्ग फीट की जगह उपलब्ध हो सके।
18. किसी भी अतिरिक्त कक्षा अनुभाग का संचालन बिना अनुमति के नहीं किया जायेगा।
19. अग्निशमन यंत्र की रफिलिंग समय-समय पर कराने का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।
20. विद्यालय के शिक्षकों / शिक्षणोत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिये जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति / अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित कराया जायेगा ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।
21. आपका विद्यालय स्वयत्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
22. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 एवं शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 की अन्य सभी शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन करने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र का होगा।
उपरोक्तानुसार आपके विद्यालय को 03 वर्षों के लिये औपबन्धित मान्यता प्रदान की जा रही है। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आयेगा तो विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

भवदीय

M. V. K. I. M. R.

(अरविन्द कुमार पाठक)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

फिरोजाबाद। *V*

/2018-19

दिनांक - उक्तावत्।

पृ0सं0/मान्यता/प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. शिक्षा निदेशक(बै0) उ0P00 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
02. अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय उ0P00 इलाहाबाद।
03. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बै0) आगरा।
04. समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद।
05. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, फिरोजाबाद।
06. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
07. कार्यालय गार्ड पत्रावली।

M. V. K. I. M. R.

M. V. K. I. M. R.

AVENUES

THE INTERNATIONAL SCHOOL
SCHOOL CODE-61301

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।